

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 188/17

निर्णय दिनांक:-30-12-2019

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल जाति बिश्नोई निवासी 13 केवाईडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर जरिये मु.आम बलवन्त सिंह पुत्र गुरुचरण सिंह जाति रामगढ़िया तरखान निवासी वार्ड नम्बर 4, गोलूवाला निवादन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-अपीलांट

-बनाम-

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

-रेस्पोडेन्ट



अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 21-10-1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री ज्ञान सिंह बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 21-10-1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में चक 29 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 184/21, 184/22 व 184/23 में 75 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस

आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने कारण आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 स्प.पेज 443 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।



उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21-10-1999 के विरुद्ध अपील दिनांक 01-06-17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र उपस्थित नहीं आने के कारण व 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील ~~खारिज~~ अपील अधिनियम फरमाई जावे।

बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 21-10-1999 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 01-06-2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद

अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अपीलांत ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते 29 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 184/21, 184/22 व 184/23 में तादादी 75 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांत के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र अपीलांत को वादगत् भूमि का आवंटन भी कर दिया गया। तत्पश्चात् आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांत का आवंटन 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई जाने के कारण निरस्त कर दिया गया।

इसके विपरीत अपीलांत का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांत को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांत को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये चालान की प्रति अथवा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांत को नोटिस की प्रति पत्रावली के साथ संलग्न है, परन्तु उक्त नोटिस अपीलांत को जारी किया गया है ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है क्योंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांत को जारी किये जाने वाले सभी नोटिस पत्रावली से जारी ही नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांत को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा चालान आवंटन अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2014 पेज 443 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जा चुके हैं। जिसके अभिलिखित है कि:-

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Allotment of land cancelled due to non deposit of



35% of amount- Special allotment of land u/Rule 13-A-
No service of notice upon the petitioner to deposit 35 &
amount-Petitioner is ready to deposit amount with
interest - Order of allotment is restored conditionally.
उक्त नजीर मामले पर पूर्णतया चस्था होती है।

7. अतः उक्त नजीर के प्रकाश में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 21-10-1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट 35 प्रतिशत राशि मय ब्याज जमा करवाता है तो नियमानुसार अपीलांट पात्रता की जांच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर समान श्रेणी भूमि आवंटन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावे।

8.

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30-12-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(राम रतन सुबेदी)
अपील अधिकारी
राजस्व अधिकार प्राधिकारी
बीकानेर

